



उल्हासनगर महानगरपालिका
ULHASNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

मालमत्ता कर विभाग

Head Office Ground Floor, Ulhasnagar 421-003 dist. Thane, Maharashtra

(मिळकत कर आकारणी विशेष नोटीस)

(महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम के कलम १२७, १२९, १५०(अ), १५७(अ), ४५३, १३९(१)(अ) तसेच अधिनियमाचे अनुसूची 'ब' चे प्रकरण ८ (काराधान नियम) मधील नियम १५(२) व नियम २०(२) अन्वये)

जा.क्र. उमपा/कर-विभाग/मु-२/२०/ 250

दि. 03/05/2023

प्रति,
KIMATMAL TOPANDAS LASSI

मालमत्ता क्र. 20BIO18976700 जुना मालमत्ता क्र. UPIC. 1229

आपणास कळविण्यात येते की, युनिट क्र 2 मधील वार्ड क्र. 20 येथील BK NO-278, NR. ZHULELAL MANDIR ROAD, ULHASNAGAR-2 याठिकाणी बांधकामात बचल निदर्शनास आले असून त्याअनुषंगाने दि. 01/04/2022 To 31/03/2023 या मुदतीत कर आकारणी करणेसाठी मालमत्तेचे वार्षिक करयोग्य मूल्य 7865 निश्चित केले आहे. सधर करयोग्य मूल्य व त्यानुसार वर नमूद केलेल्या काळावधीसाठी प्रती वर्ष कर

| बांधकाम प्रकार | बापराजा प्रकार | चटई क्षेत्रफळ | करनिघारण वर्ष | करयोग्य मूल्य |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|--|----------------------|
| AC-Sheet TG AC-Sheet | Resi Resi Resi | 348.90 104.84 114.80 | 01/04/2022 01/04/2022 01/04/2022 | 4421 1981 1463 |
| 566.54 | | | | 7865 |

कराचे तपशील

| अ. क्र | कराचे प्रकार | कराचे दर | एकूण रक्कम |
|--------|---------------------------|---------------------------------------|------------|
| (१) | सर्व साधारण कर | 28% | 2202 |
| (२) | महानगरपालिका शिक्षण कर | 5% | 393 |
| (३) | मलप्रवाह कर | 7% | 551 |
| (४) | पथ कर | 8% | 629 |
| (५) | वृक्ष कर | 0.5% | 39 |
| (६) | पाणीपुरवठा लाभ कर | 5% | 393 |
| (७) | मलप्रवाह सुविधा लाभ कर | 3% | 236 |
| (८) | शासकीय शिक्षण कर | Residential - 6% Non-Residential - 0% | 472 |
| (९) | शासकीय रोजगार हमी कर | 3% | 0 |
| (१०) | मोठ्या निवासी जागेवरील कर | 10% | 786 |
| (११) | पाणी पट्टी (प्रति महिना) | 150 per month | 1800 |
| (१२) | विशेष साफ सफाई कर | 10% | 0 |
| (१३) | अग्निशमन सेवा कर | 2% | 157 |
| (१४) | उपयोगकर्ता शुल्क | | 695 |
| (१५) | अनाधिकृत बांधकाम शास्ती | | 0 |
| | | | 8353 |

वरील कर आकारणी बाबतची तपशीलवार माहिती कार्यालयीन कामाचे दिवशी मुख्य कार्यालयातील कर बसुली विभागात मिळेल. तरी या कर आकारणी संबंधी तुमची काही तक्रार असल्यास ती ही नोटीस मिळाल्यापासून २१ दिवसांचे आत उप-आयुक्त (कर), महानगरपालिका कार्यालय, उल्हासनगर यांचेकडे योग्य त्या कारणास्तव व पुराव्यासह लेखी स्वरूपात दाखल करावी. मुदतीत हरकत न घेतल्यास वरील प्रमाणे निश्चित केलेले करयोग्य मूल्य व कर आकारणी कायम करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

तसेच जागेच्या मालकी हक्काबाबत वाद उपस्थित झाल्यास त्याचे निराकरण आपणांस करावे लागेल.

Sunil Krishnani
g 324016068

उप-आयुक्त (कर)

उल्हासनगर महानगरपालिका

(अनाधिकृत बांधकामास कर आकारणी केल्यास अथवा कर भरल्याने बांधकाम अधिकृत होत नाही. कर आकारणी अथवा कर भरल्याने कोर्टातील कामकाजास व निकालांवर कार्यवाही करण्यास बाधा येणार नाही याची नोंद घ्यावी.)